



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 25.05.26

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 17 लीटर 780 मिली अवैध कच्ची शराब, घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी व 800 रुपये नगद बिक्री के बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 17 लीटर 780 मिली अवैध कच्ची शराब, घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी जुपीटर नं0 UP -14 AF4724 व शराब बिक्री के 800 रुपये नगद के बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 167/26 धारा 60/72 उ0प्र0 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. इमरान पुत्र मीरहसन निवासी मौ0 शेखपुरा कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र 26 वर्ष
2. मोनू उर्फ अमित पुत्र सतवीर नि0 धामीनगर सिरोली थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष

### बरामदगी का विवरण-

- 17 लीटर 780 मिली अवैध कच्ची शराब
- घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी जुपीटर नं0 UP -14 AF4724
- शराब बिक्री के 800 रुपये नगद

## गिरफ्तार अभियुक्त मोनू उर्फ अमित का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 211/22 धारा 60/72 उ०प्र० आबकारी अधि० व 272/273 भादवि थाना टीलामोड गाजियाबाद

2. मु०अ०सं० 167/26 धारा 60/72 उ०प्र० आबकारी अधि० थाना खेकडा जनपद बागपत

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री भुरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकडा, बागपत

2. HC 886 अमित कुमार थाना खेकडा बागपत

3. HC 847 राकेश कुमा थाना खेकडा बागपत

4. रि०का० 256 तनुज कुमार थाना खेकडा बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनाँक 25.05.2026

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0स0 155/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित पुत्र बीरपाल निवासी ग्राम रहतना थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 35 वर्ष

## बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 विकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
- 2-है0का0 510 प्रदीप कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-रि0का0 181 विपिन यादव थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-रि0का0 518 हीरा सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बडौत

दिनांक 25.05.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 353/26 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 फावड़ा (आलाकत्ल) बरामद ।

## संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.05.2026 को थाना बडौत पर आवेदक इस्तकार पुत्र रसीद निवासी मौहल्ला खेलकला कसबा व थाना कैराना जनपद शामली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.आस मौहम्मद उर्फ आसू पुत्र इशाक 2.दीन मौहम्मद पुत्र इशाक, 3.इशाक पुत्र सीदा, 4.एक महिला व 5.मुरसलीन पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम खेड़ा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली हालनिवासी चाँद मिया के भट्टे पर ग्राम ट्योढी थाना बडौत जनपद बागपत



के द्वारा वादी की बहन के साथ फावड़ा ईंटों एवं डंडों से मारपीट करते हुए उसकी गला

दबाकर हत्या कर देना तथा मृतका इशरत के शव को साक्ष्य मिटाने की नियत से चाँद मियाँ के भट्टे स्थित ग्राम ट्योढ़ी से अपने ग्राम खेडा कुरतान ले जाना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 353/26 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 353/26 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 फावड़ा (आलाकत्ल) तथा घटनास्थल से मृतका की रक्तरंजित 01 कुर्ती फटी हुई व 01 दुपट्टा बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आस मौहम्मद उर्फ आसू पुत्र इशाक निवासी ग्राम खेडा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली हालनिवासी चाँद मिया के भट्टे पर ग्राम ट्योढ़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत उम्र करीब 35 वर्ष

### बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त 01 फावड़ा (आलाकत्ल)।
- घटनास्थल से मृतका की रक्तरंजित 01 कुर्ती फटी हुई व 01 दुपट्टा बरामद।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- निरीक्षक अपराध श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री आदित्य प्रताप सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 3-का0 421 अंकुल कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 4-का0 463 पवन नागर थाना बड़ौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 25.05.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 09 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्तो की 02 गड्डी, 19,240 रूपये नगद, 8 मोटरसाइकिल (जिनमे से एक मोटरसाइकिल चोरी की), 01 स्कूटी व 07 मोबाइल फोन बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के



अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्तो की दो गड्डी, 19,240 रूपये नगद, 08 मोटरसाइकिल (जिनमे से एक मोटरसाइकिल चोरी की), 01 स्कूटी व 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नोट-** गिरफ्तार अभियुक्त मोहित पुत्र दयानंद निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली से बरामद मोटरसाइकिल रजि नं0 UP19C0657 काली सुपर स्प्लेण्डर के संबंध में पूछने पर अभियुक्त मोहित उपरोक्त ने दिनांक 13/07/2024 को शाम के समय मोहल्ला आर्यपुरी कस्बा शामली से यह मोटरसाइकिल चोरी करना बताया जिसके संबंध में थाना शामली पर मु0अ0सं0 435/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं ।

**घटनास्थल-** ग्राम धनौरा सिल्वरनगर, गिरफ्तारी दिनांक 24-05-2026 की रात्रि ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

1. अंकुश पुत्र राजेन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2. मोहित पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 28 वर्ष ।
3. सूरज पुत्र अंग्रेस निवासी ग्राम माखर थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 30 वर्ष ।
4. सोनू पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 30 वर्ष ।
5. प्रवीण उर्फ प्रचारी पुत्री ऋषिपाल निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 40 वर्ष ।
6. मोहित पुत्र दयानन्द निवासी धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष ।
7. अर्जुन पुत्र वीरसैन निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 30 वर्ष ।
8. रब्बान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम रोसपुर थाना सिंघावली जिला बागपत उम्र 39 वर्ष ।
9. रिजवान पुत्र सूबेदार निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत उम्र 30 वर्ष ।

### बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्तो की दो गड्डी,
- 19240 रूपये नगद,
- 7 मोबाइल फोन
- कुल 21440- रूपये
- 8 मोटर साईकिल व 01 स्कूटी कुल (09 वाहन)

जिनका रजि0 नम्बर-

1. UP17A5060 काली स्प्लेण्डर प्लस
2. DL11SG8993 काली स्प्लेण्डर
3. UP17Z0456 काली पल्सर
4. UP17J2296 काली पेसन परो
5. UP81AE7105 काली डिस्कवर
6. UP17Q7964 काली सीटी 100
7. UP17 AD4171 काली स्प्लेण्डर
8. UP19C0657 काली सुपर स्प्लेण्डर बिना नंबर प्लेट (चोरी की )
9. UP64AA9927 ग्रे रंग की स्कूटी

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत

- 2.उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
3. है0का0 231 सतेन्द्र नागर थाना बिनौली जनपद बागपत
- 4.है0का0 711 लेखराज थाना बिनौली जनपद बागपत
- 5.है0का0 399 वीरपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 6.रि0का0 308 नैतिक यादव थाना बिनौली जनपद बागपत
- 7.रि0का0 539 मनीष थाना बिनौली जनपद बागपत
- 8.रि0का0 492 जोगेन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 9.रि0का0 147 विनय कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 10.रि0का0 299 अनुज कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना रमाला

दिनाँक 25.05.2026

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0स0

100/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि

ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

उमेश कुमार उर्फ सोनू पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

**बरामदगी का विवरण-**

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला बागपत।
- 2-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला बागपत।
- 3-रि0का0 354 मनमोहन थाना रमाला बागपत।

